

ग्राम न्यायालय

प्रलिस के लयः

[भारत का सर्वोच्च न्यायालय](#), [उच्च न्यायालय](#), [ग्राम न्यायालय](#), [भारत का वधिआयोग](#), [ई-कोर्ट मशिन मोड परयोजना](#), [टेली-लॉ कार्यक्रम](#), [फास्ट ट्रेक कोर्ट](#), न्याय बंधु मंच

मेन्स के लयः

भारत में ग्राम न्यायालयों की चुनौतियाँ, न्यायिक प्रणाली में रुकावटें दूर करना ।

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

[भारत के सर्वोच्च न्यायालय](#), ने राज्यों और [उच्च न्यायालयों](#) को [ग्राम न्यायालयों](#) की स्थापना तथा कार्यप्रणाली पर व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का नरिदेश दिया है ।

- यह नरिदेश इन ग्रामीण अदालतों के धीमे कार्यान्वयन के संबंध में चर्चाओं के बीच आया है ।

ग्राम न्यायालयों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की चर्चाएँ क्या हैं?

- धीमी गति से कार्यान्वयन: ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 का उद्देश्य न्यायालयों में भीड़भाड़ कम करना तथा प्रशासन का वकिंदरीकरण करना था । इस बात पर ज़ोर दिया गया कि ग्राम न्यायालयों का उद्देश्य न्याय तक पहुँच को बेहतर बनाना है, लेकिन वर्तमान में आवश्यक 16,000 में से केवल 450 ही स्थापित हैं, जिनमें से केवल 300 ही काम कर रहे हैं ।
- लंबित मामले: नचिले न्यायालयों में चार करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, कार्यात्मक ग्राम न्यायालयों की कमी के कारण लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है, जिससे न्यायिक प्रणाली में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है ।
- न्याय तक पहुँच: सर्वोच्च न्यायालय इस बात से चर्चित है कि ग्राम न्यायालयों की धीमी स्थापना ग्रामीण नागरिकों को शीघ्र और कफायती न्याय प्रदान करने के लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करती है ।
- रिपोर्टिंग का अभाव: राज्य और उच्च न्यायालय ग्राम न्यायालयों की स्थितिका वविरण देने वाले आवश्यक हलफनामे प्रस्तुत करने में वफिल रहे हैं, जो अनुपालन तथा प्रतबिद्धता की कमी को दर्शाता है ।
- जनजातीय क्षेत्रों में प्रतरीध: झारखंड और बहिर जैसे कुछ राज्यों ने स्थानीय या पारंपरिक कानूनों के साथ टकराव का हवाला देते हुए जनजातीय या अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम न्यायालय स्थापति करने का वरीध कया है ।

अन्य संबंधित मुद्दे: ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 3 के अनुसार, राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिये ज़मिेदार हैं । हालाँकि अधिनियम ग्राम न्यायालयों की स्थापना को अनवार्य नहीं बनाता है ।

- राज्यों द्वारा, वशिषकर जनजातीय क्षेत्रों में, स्थानीय कानूनों के साथ टकराव का हवाला देते हुए प्रतरीध कया गया ।
- परवार और शर्म न्यायालयों जैसी अन्य वशिष अदालतों के साथ ओवरलैप के कारण उनके अधदिश के बारे में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है ।
 - तालुका स्तर पर नयिमति न्यायालयों की स्थापना से ग्राम न्यायालयों की आवश्यकता कम हो गई है ।
- हतिधारकों के बीच कम जागरूकता तथा पुलसि अधिकारियों, वकीलों और अन्य पदाधिकारियों में ग्राम न्यायालयों का उपयोग करने के प्रती अनचिछा ।
- प्रत्येक न्यायालय के लिये 18 लाख रुपए का प्रारंभिक बजट तथा केंद्र सरकार से तीन वर्षों हेतु 50% आवर्ती व्यय सहायता अपर्याप्त रही है ।

ग्राम न्यायालय क्या है?

- **परिचय:** ग्राम न्यायालय की संकल्पना का प्रस्ताव **भारतीय वधि आयोग** ने अपनी **114वीं रिपोर्ट** में ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को न्याय की वहनीय और त्वरति पहुँच प्रदान करने के लिये किया था।
 - **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A** वधि प्रणाली द्वारा न्याय को बढ़ावा देने और **आर्थिक या अन्य अक्षमताओं की परवाह किये बनी सभी नागरिकों के लिये समान अवसर** प्रदान करने हेतु नशुलक वधिक सहायता सुनशुचिति करता है।
 - यह वजिन वर्ष 2008 में ग्राम न्यायालय वधियक के पारति होने और उसके पश्चात् वर्ष 2009 में ग्राम न्यायालय अधनियम के कार्यान्वयन के साथ अस्ततिव में आया।
 - ग्राम न्यायालय को **प्रथम श्रेणी के न्यायकि मजसिद्रेट का न्यायालय** माना जाता है जिसके पास ग्राम स्तर पर लघु वविदों को नपिटाने के लिये **दीवानी और आपराधकि दोनों प्रकार की अधिकारति** होती है।
 - यह अधनियम **नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सकिमि और असम, मेघालय, त्रपुरा और मजोरम के वशिष्ट जनजातीय क्षेत्रों के अतरिकित समग्र भारत में कर्यान्वति है।**
- **प्रमुख वशिषताएँ:**
 - **स्थापना मानदंड:** ये न्यायालय मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत या समीपवर्ती ग्राम पंचायतों के समूह के लिये स्थापति किये जाते हैं। कसिी ग्राम न्यायालय का मुख्यालय उसके **मध्यवर्ती पंचायत** स्तर पर अवस्थति होता है।
 - **पीठासीन अधिकारी:** पीठासीन अधिकारी, जसि न्यायाधिकारी के रूप में जाना जाता है, को राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से नयुक्त किया जाता है।
 - **न्यायाधिकारी का तात्पर्य न्यायकि अधिकारी से है जनि का वेतन और शक्तियाँ उच्च न्यायालयों के तहत कार्यरत प्रथम वर्ग के मजसिद्रेट के समान होती हैं।**
 - **क्षेत्राधिकार:** ग्राम न्यायालय उक्त अधनियम की **पहली और दूसरी अनुसूची** में सूचीबद्ध आपराधकि मामलों, दीवानी मुकदमों, दावों तथा वविदों को आपराधकि मुकदमों के लिये संक्षपित वचारण प्रकरियाँ का पालन करते हुए संभालते हैं।
 - कसिी अपराध के आरोपी व्यक्ती के पास सौदा अभविक (Plea Bargaining) के लिये आवेदन दायर करने का वकिल्प होता है जसिसे **आरोप या दंड को कम करने पर वार्ता** की जा सकती है।
 - **सुलह के पर्यास:** ये न्यायालय वविदों को नपिटाने के लिये पक्षों के बीच सुलह करने पर ज़ोर देते हैं और इस उद्देश्य के लिये नयुक्त मध्यस्थों का उपयोग करते हैं।
 - **नैसर्गकि न्याय द्वारा नरिदेशति:** ये न्यायालय **भारतीय साक्ष्य अधनियम, 1872 (जसिका स्थान भारतीय साक्ष्य अधनियम ने ले लिया है)** के तहत साक्ष्य के नयिमों से आबद्ध नहीं हैं और उच्च न्यायालय के नयिमों द्वारा नरिदेशति **नैसर्गकि न्याय के सदिधालों** का पालन करते हैं।
- **परचालन की शर्तें:** आरंभ में ग्राम न्यायालयों को मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर स्थापति करने का प्रस्ताव किया गया था जसिमें अनावर्ती व्यय के लिये 18 लाख रुपए का एकमुशत बजट शामिल था। केंद्र सरकार द्वारा प्रथम तीन वर्षों के लिये कुल आवर्ती व्यय के 50% का वहन करने की भी सुवधि दी गई।
 - 50 करोड़ रुपए के बजट के साथ इस योजना को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में **ग्राम न्यायालयों के संचालति होने और न्यायाधिकारियों की नयुक्त के पश्चात् ही धनराश आवंटति की जाती है।**
 - ग्रामीण क्षेत्रों में हाशियाई वर्ग के नागरिकों को वहनीय और त्वरति न्याय प्रदान करने में प्रभावशीलता का आकलन करने के लिये एक वर्ष के उपरांत इनके प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है।

भारत में लंबति मामलों को संबोधति करने के लिये भारत की पहल क्या है?

- **न्यायालय कक्ष:** न्यायालय कक्षों की संख्या वर्ष 2014 में 15,818 से बढ़कर वर्ष 2023 में 21,295 हो गई है। इसके अतरिकित, 2,488 न्यायालय कक्ष वर्तमान में नरिमाणाधीन हैं।
- **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) समेकन:** **ई-कोर्ट मशिन मोड परयोजना** के अंतगत 18,735 ज़िलों एवं अधीनस्थ न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत किया गया है।
 - ई-कोर्ट के अंतगत **WAN परयोजना का लक्ष्य** देश भर के सभी ज़िलों और अधीनस्थ न्यायालय परसिरो को जोड़ना है। वर्तमान में 99.4% न्यायालय परसिरो WAN कनेक्टविटि है।
 - 3,240 न्यायालय परसिरो एवं 1,272 कारागारों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिगि सक्षम बनाया गया है, जसिसे दूरस्थ कानूनी कार्यवाही में भी वृद्धि हुई है।
 - **टेली-लॉ कार्यक्रम, वर्ष 2017 में प्रारंभ** किया गया, जो ग्राम पंचायतों में **कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)** पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिगि, टेलीफोन एवं चैट सुवधियों के साथ-साथ **टेली-लॉ मोबाइल एप** के माध्यम से वंचति वर्गों को वकीलों के पैनल से जोड़ता है।
- **राष्ट्रीय न्यायकि डेटा ग्रडि (NJDG):** यह प्लेटफॉर्म न्यायकि अधिकारियों सहति सभी हतिधारकों के लिये न्यायकि कार्यवाही एवं नरिणयों से संबंधति जानकारी तक पहुँच की अनुमति प्रदान करता है।
- **वर्चुअल कोर्ट (आभासी न्यायालय):** 17 राज्यों तथा केंद्रशासति प्रदेशों में स्थति, वे 2.53 मिलियन से अधिक मामलों को संभालेंगे और जनवरी 2023 तक 359 करोड़ रुपए का ज़रमाना भी वसूलेंगे।
- **नयुक्तियाँ:**
 - **सर्वोच्च न्यायालय में नयुक्तियाँ:** मई 2014 से मार्च 2023 तक 54 न्यायाधीशों की नयुक्तिकि गई।
 - **उच्च न्यायालयों में नयुक्तियाँ:** 887 नए न्यायाधीश तथा 646 अतरिकित न्यायाधीशों को स्थायी बनाया गया; न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 906 से बढ़कर 1114 की गई।
 - **ज़िला एवं अधीनस्थ न्यायालय:** स्वीकृत संख्या वर्ष 2013 में 19,500 से बढ़कर वर्ष 2023 में 25,000 से अधिक हो गई।

- **फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना:** जघन्य अपराधों तथा महिलाओं एवं बच्चों के वरिद्ध अपराधों के लिये 843 फास्ट ट्रैक न्यायालय कार्यरत हैं।
- **फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC):** यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी (POCSO) अधिनियम, 2012 के तहत बलात्कार के मामलों और अपराधों के शीघ्र नपिटान के लिये 28 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के इस योजना में शामिल होने को मंजूरी दी गई।
- **वधायी सुधार:** लंबित मामलों को कम करने के लिये विभिन्न कानूनों में संशोधन किया गया, जिनमें शामिल हैं:
 - परकरामय लिखित (संशोधन) अधिनियम, 2018
 - वाणजियिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018
 - मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019
 - आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018
- **लोक अदालतें एवं नैःशुल्क सेवाएँ:**
 - वधिक सेवा प्राधिकरण (LSA) अधिनियम 1987 द्वारा स्थापित **लोक अदालतों** का उद्देश्य बाध्यकारी नरिणय लेना है जनिहें चुनौती नहीं दी जा सकती है।
 - **न्याय बंधु मंच** के माध्यम से **प्रो बोनो (सार्वजनिक कल्याण हेतु) कलचर** को संस्थागत बनाया गया, जिसमें प्रो बोनो अधविकृताओं को पंजीकृत किया गया और साथ ही 69 वधिविद्यालयों में प्रो बोनो क्लबों की स्थापना की गई।

आगे की राह

- **लक्ष्य नरिधारण:** जनसंख्या घनत्व और कसों के भार के आधार पर ग्राम न्यायालय की स्थापना के लिये स्पष्ट तथा समयबद्ध लक्ष्य नरिधारित करें।
 - न्यायाधिकारियों, मध्यस्थों और अन्य हतिधारकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें।
 - केंद्र सरकार के वतितपोषण को ग्राम न्यायालयों के सफल कार्यान्वयन से जोड़ें, राज्यों को इन न्यायालयों को प्राथमकता देने के लिये प्रोत्साहित करें।
- **जनजातीय क्षेत्रों में प्रतरीध का समाधान:** आदवासी समुदायों के साथ मलिकर ग्राम न्यायालयों के लिये चतिओं का समाधान और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील प्रक्रियाएँ वकिसति करें तथा यह सुनिश्चित करें कि ग्राम न्यायालय पारंपरिक न्याय प्रणालियों के पूरक हों न कि उनकी जगह लें।
- **सीमाओं को स्पष्ट करना:** ग्राम न्यायालयों और वशिष न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। इससे भ्रम की स्थिति दूर होगी और मामलों का कुशल आवंटन सुनिश्चित होगा।
- **नगरानी और मूल्यांकन:** ग्राम न्यायालय के प्रदर्शन पर नजर रखने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिये एक मजबूत डेटा संग्रह प्रणाली वकिसति करना। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये समय-समय पर प्रदर्शन मूल्यांकन तथा सार्वजनिक रिपोर्टिंग करना।
- **ग्रामीण संपर्क अभियान:** ग्रामीण क्षेत्रों में लक्ष्य जन जागरूकता अभियान शुरू करें। नागरिकों को ग्राम न्यायालयों और उनके लाभों के बारे में शक्ति करने के लिये स्थानीय मीडिया तथा सामुदायिक नेताओं का उपयोग करें।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में ग्राम न्यायालयों के सामने आने वाली कार्यान्वयन चुनौतियों की आलोचनात्मक जाँच कीजिये। ये चुनौतियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय तक पहुँच को कैसे प्रभावित करती हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में नमिनलिखित कथनों पर वचिर कीजिये: (2021)

1. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कसि भी सेवानवृत्त न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के राष्ट्रपतकी पूरव अनुमति से वापस बैठने और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिये बुलाया जा सकता है।
2. भारत में उच्च न्यायालय के पास अपने नरिणय की समीक्षा करने की शक्ति है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

